ग्रामीण सेवा शिविर–2025
<u>दिनांक 07.11.2025</u>

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर,बालोतरा

राजस्व आवेदन संख्या 441/2025

शैतानसिंह बनाम सरकार

आदेश

प्रार्थी के खाता दुरूस्ती प्रार्थना पत्र एव हल्का पटवारी तिलवाड़ा व भू.अ.नि. तिलवाड़ा की रिपोर्ट मय अनुशंसा के अनुसार ग्राम तिलवाड़ा तहसील पचपदरा की खाता संख्या 516 खसरा संख्या 974/94 मे प्रार्थी का नाम सुल्तानसिंह पुत्र बांडा खातेदारी में दर्ज है,जो कि रेकर्ड मे अशुद्व नाम दर्ज हो रखा है,जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम शैतानसिंह है,जो शुद्व करवाने का निवेदन किया गया है।

प्रार्थी का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी का आवेदन व पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया गया। जिसमे पाया कि प्रार्थी का वर्तमान रेकर्ड मे सुल्तानसिंह पुत्र बांडा नाम दर्ज है,इसके स्थान पर प्रार्थी शैतानसिंह नाम दर्ज करवाने का अनुतोष चाहा है,जो कि स्वीकार योग्य नही है,क्योकि प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य सबूत पेश नही किया,जिससे साबित होता कि प्रार्थी नाम दुरूस्ती करवाने की हकदार हो। इसके अलावा पूर्व रेकर्ड मे प्रार्थी का नाम अशुद्व नाम दर्ज होने का क्या आधार रहा,इसका भी कोई स्पष्टीकरण नही है। इसके अलावा भूमिधारक तहसीलदार पचपदरा द्वारा अपनी ओर से नाम दुरूस्ती करने बाबत टिप्पणी नही की गई है। उपरोक्त विवेचन के उपरांत प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पोषणीय नही होने के कारण प्रार्थी का आवेदन खारिज किया जाता है। प्रार्थी पृथक से वाद पेश करने के लिए स्वतंत्र रहेगी।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफतर हो।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर बालोतरा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा